

जयपुर नगर में महिला उत्पीड़न के बदलते प्रतिमान

सारांश

उपरोक्त अवधारणा से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक नारी के प्रति पुरुष व समाज की धारणा में परिवर्तन नहीं आया उसकी शारीरिक कमज़ोरी को उसकी दुर्बलता मान लिया गया। जिसके परिणामस्वरूप समाज की मानसिकता में स्त्रियां निर्बल हो गई पुरुष इन्हें प्रसाधन का साधन मानने लगे और वे भोग्या के रूप में उभरी। उनके अंदर असुरक्षा का भव इतना भर दिया गया जिसका अस्तित्व वर्तमान में भी संपूर्ण नारी जाति में विद्यमान है। स्त्री की महत्ता कथाओं में पुराणों में चाहे कितनी भी क्यों न हो लेकिन समाज में स्त्रियों को वह प्रतिष्ठा व सम्मान नहीं मिला जो पुरुषों को प्राप्त हैं। नारी स्वतंत्रता की दुर्दशा तो एक सी रही हैं। पुरुष ने सदैव ही नारी को हेय दृष्टि से देखा नारी के लज्जा, ममता व स्नेह के गुणों को नारी की दुर्बलता समझ कर उसका मनमना शोषण व उत्पीड़न प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार इस पुरुष अधिशापित समाज में नारी पुरुष के हाथों की कठपुतली बन गई नारी ने प्राचीन धारणाओं, भ्रांतियों व परम्पराओं को अपने जीवन में शामिल कर लिया और आज भी वह इन सामाजिक मान्यताओं व परम्पराओं का निर्वाह करते हुए अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही हैं।

मुख्य शब्द : महिला उत्पीड़न, महिला हिंसा, महिला सशक्तिकरण, नारी स्थिति, महिला समायोजन।

प्रस्तावना

भारत में महिला के स्वरूप की अवधारणा कातिपय पारम्परिक मान्यताओं पर आधारित हैं। एक ओर महिला को पूज्य बताया गया है, जैसा कि मनु ने कहा कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं— “यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता”, दूसरी ओर पारम्परिक रूप से पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को सदैव नीचे स्तर पर रखा गया है। यह विरोधाभास दीर्घकाल से भारतीय सामाजिक संरचना में विद्यमान रहा है। विभिन्न कालखण्डों में महिलाओं के विषय में सामाजिक मान्यताओं के अध्ययन से इस विरोधाभास की व्यापकता का अनुमान लगाना समुचित है। वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय में भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक स्तर की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए वैदिक काल से ही महिलाओं की स्थिति व विभिन्न कालखण्डों में हुए परिवर्तन पर विचार करना भी समुचित प्रतीत हुआ।

सामाजिक संरचना पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट रूप से उभर कर आता है कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को पुरुष से निम्न स्तर पर ही माना जाता रहा है। भारतीय महिला के विषय में विचार करते समय भी कालखण्डों में उसके वैभव एवं समाज के विन्यास एवं संरचना पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। सामाजिक परिवर्तनों ने महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में भी निरन्तर बदलाव किया है। सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव महिलाओं पर भी स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। इतिहास के विभिन्न कालखण्डों में महिला के अनेक रूप सामने आते हैं यथा किसी कालखण्ड में उसके वैभव एवं गौरव की गाथाएं हैं तो अन्य में उसकी अबला एवं पराधीन दासी रूप को दर्शाया गया हैं। भारतीय महिला की छवि अनेक रूप में उभारनें का कार्य कवियों, साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों, शास्त्रवेत्ताओं, नीतिशास्त्रियों आदि सभी ने किया हैं जहाँ तुलसीदास जी ने नारी को ताडना का अधिकारी बताया है; “डोल गंवार शूद्र पशु नारी। ये सब ताडन के अधिकारी”, वहीं महाकवि जयशंकर प्रसाद ने उसे उच्चतम स्थान दिया है; “नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। पीयूष स्त्रोत सी बहा करों, जीवन के सुन्दर समतल में।”



रविन्द्र कुमार
शोधार्थी,
इतिहास एवं भारतीय संस्कृति
विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान

साहित्यावलोकन

ऑक्सफोर्ड कन्साइज डिक्सनरी में सी.ए.मोजर द्वारा अवलोकन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है “घटनाएँ कार्य अथवा सम्बन्धों के सम्बन्ध में जिस रूप में वे उपस्थित होती हैं, का यथार्थ निरीक्षण एवं वर्णन है।” सी.ए.मोजर के अनुसार—“सामाजिक विज्ञानों में बहुधा इस संज्ञा का प्रयोग अधिक विस्तृत अर्थों में किया जाता है। सही अर्थों में एक सहभागिक अवलोकनकर्ता समुदाय के जीवन तथा क्रियाओं में भाग लेता हुआ, उन सब बातों का अवलोकन नहीं करता, जो उसके आस-पास घटती हैं, अपितु अवलोकित की हुई घटनाओं को वार्तालाप तथा प्रलेखों के अध्ययनों द्वारा पूर्ण बनाता है।

डॉ. आशु रानी सचदेवा के अनुसार—“यद्यपि ईश्वर प्रकाश पुंज है तो नारी उसकी किरण है जो प्रकाश को चारों तरफ बिखेर देती है। यदि ईश्वर शब्द है तो नारी उसकी व्याख्या व अर्थ है।”

ए.आर. देसाई के अनुसार—“भारतीय नारी में चेतना व संवेदना का विकास करना होगा, जिससे उसे अधिक समय तक प्राचीन पारिवारिक मान्यताओं, संस्थागत राजनैतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक मापदण्डों की घुटन में नहीं रहना पड़ेगा। जिसके कारण उसकी स्थिति सदैव अपमानिक व उत्पीड़ित रहीं हैं।”

आशा रानी बोहरा के अनुसार—“नारी सौन्दर्य पुरुष के लिये, समाज के लिये, स्वयं नारी के लिये प्रकृति का एक अनुपम वरदान है। उसे केवल मात्र उपभाग की वस्तु नहीं समझना चाहिए। मानसिक सौन्दर्य के बिना शारीरिक सौन्दर्य अधूरा है। इस अधूरेपन से ही उथलापन उभरता है जो विकृतियों को जन्म देता है। जरूरत है सौन्दर्य की इस परिभाषा को पूर्ण बनाने की न कि उसे अभिशाप समझ कर उसकी उपेक्षा या भर्त्सना करने की।”
“महिला उत्पीड़न”

‘महिला उत्पीड़न’ एक बहुत ही जटिल समस्या है। यह समस्या प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक सम्पूर्ण समाज में अपना जाल फैला चुकी है। अधिकतर सभी देशों में महिलाओं पर अत्याचार होते हैं तथा महिलाओं पर अत्याचार की शुरुआत घर से ही होती है। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के आरम्भ से ही मानवाधिकारों का प्रश्न माना गया है। सन् 1994 के ‘विपना समझौता’ तथा सन् 1995 के ‘बिंजिंग घोषणा’ में इस बात को स्वीकार किया गया है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रकार

डॉ. राम आहूजा ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का वर्गीकरण इस प्रकार किया है—

आपराधिक हिंसा

बलात्कार, अपहरण, हत्या, लूटपाट, यौन-शोषण, हिंसा, भगा ले जाना, प्रेम प्रसंग में हत्या।

पारिवारिक हिंसा

दहेज सम्बन्धी मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, विधवाओं या वृद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार आदि।

सामाजिक हिंसा

पत्नी, पुत्रवधु को भ्रूण हत्या के लिये बाह्य करना, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, सम्पत्ति में महिलाओं

का हिस्सा देने से इन्कार करना, अल्पव्यस्क, विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना, पुत्रवधु को और अधिक दहेज लाने के लिए सताना। उपरोक्त हिंसाओं के प्रकार का आधार मानकर शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत हिंसा के निम्न प्रकारों को लिया है।

1. आपराधिक हिंसा — बलात्कार
2. घरेलू हिंसा — दहेज सम्बन्धी मृत्यु
3. सामाजिक हिंसा — पुत्रवधु को भ्रूण हत्या के लिए बाध्य करना।

अध्ययन क्षेत्र

अनुसंधानकर्ता ने जयपुर नगर का चुनाव किया। शोधार्थी जयपुर जिले को भली भांति जानती है, वे यहां की संस्कृति और व्यवस्था से परिचित होने के कारण इस क्षेत्र का चुनाव किया। जयपुर के चुनाव का एक कारण यह भी है कि ये राज्य की राजधानी और विकसित सामाजिक-आर्थिक विकास का घोतक है। जयपुर की स्थापना कछावा वंश के राजा सवाई जयसिंह ने 1727 में वास्तुकार विद्याधर निर्देशानुसार करवाई योजनाबद्ध रूप से निर्मित गुलाबी शहर जयपुर भारत के पेरिस के रूप में जाना जाता है। यह अपनी नगरी स्थापत्य कला एवं बेहतरीन बसावट के लिए जाना जाता है। पर्यटकों का पहला पसंदीदा स्थान है। इस शहर में लगभग सभी समुदायों के लोग निवास करते हैं, तथा जयपुर अब मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। मैं स्वयं अनुसंधानकर्ता लगभग 13 वर्षों से जयपुरवासी हूँ साथ ही इसके निवास की प्रक्रिया व ऐतिहासिक सामाजिक, राजनैतिक दृष्टिकोण से भली-भांति परिचित हूँ इसलिए अपने शोध हेतु जयपुर नगर का चयन किया है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

1. उत्पीड़न के पश्चात् उत्पीड़ित महिलाएं किस प्रकार परिवार में समायोजन रखती हैं।
2. बदलते सामाजिक परिवेष में महिलाओं का बदलता स्वरूप तथा महिला उत्पीड़न पर शोध करना।
3. परिवार कार्यस्थल तथा अन्य जगहों पर हुए महिला उत्पीड़न के उभरते प्रतिमानों को उल्लेखित करना।
4. सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के साथ उत्पीड़न के तरीके में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है।
5. महिलाओं के उत्पीड़न का समाजशास्त्रीय विश्लेषण उनकी सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि के अन्तर्गत करना है।

प्राथमिक तथ्य संकलन की विधियाँ

(क) प्रश्नावली विधि

(ख) अनुसूची विधि

अनुसूची के प्रकार

1. अवलोकन अनुसूची
2. मूल्यांकन अनुसूची
3. प्रलेख अनुसूची
4. संस्था सर्वेक्षण अनुसूची
5. साक्षात्कार अनुसूची

(ग) अवलोकन

यह प्राथमिक सामग्री संकलित करने की एक प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रविधि हैं। विज्ञान इसी प्रविधि पर

आधारित हैं। इस विधि में अध्ययनकर्ता अध्ययन स्थल पर जाकर अपने विषय से संबंधित घटनाओं तथा व्यवहारों का स्वयं अवलोकन करके सूचनाएं संकलित करता है। इस विधि द्वारा तथ्य संकलन के दौरान अवलोकनकर्ता भिन्न-भिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक घटनाओं, प्रक्रियाओं इत्यादि के विषय में प्रत्यक्ष अध्ययन करता है।

विभिन्न युगों में नारी की स्थिति

वैदिक युग में नारी की स्थिति

भारतीय इतिहास का आदिकाल वैदिक काल से ही प्रारम्भ होता है। वेद ही हमारे आदि युग के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत है। वैदिक समाज वर्णश्रम व्यवस्थाओं पर बहुत ही सरल व सुस्पष्ट मान्यताओं पर आधारित था। इस प्रकार इस काल में समानता के आधार पर किसी प्रकार भेदभाव नहीं था। इतिहासकारों ने भी वैदिक व्यवस्था को एक आदर्श व्यवस्था माना है।

कन्या के जन्म के समय उत्तरवैदिक काल की स्थिति

यद्यपि वैदिक काल में भी पुत्र जन्म की कामना प्रत्येक परिवार करता था, परन्तु कन्या के जन्म को आपत्ति का कारक नहीं समझा जाता था। परन्तु उत्तरवैदिक काल में पुत्री का जन्म एक आपत्ति और चिन्ता का विषय बन गया था। पुत्र को जीवन काल में प्रकाश की किरण और पुत्री को आपत्ति तथा चिन्ता प्रदान करने वाली कहा गया था। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में स्त्री को जो स्वतंत्रता और समानता प्राप्त थी, उसका धीरे-धीरे अन्त होने लगा था।

धर्मशास्त्र काल में नारी की स्थिति

इतिहास व स्मृतिकारों में नारी के प्रति कठोर व्यवस्था को समाज में अक्षरश मान लिया गया हो ऐसा नहीं था। यह सत्य है कि नारी की गरिमामय छवि का निरन्तर ह्यस होता रहा था, परन्तु भारत में राजपूत काल तक विदुषी और वीर स्त्रियां नारी के गौरव का विषय बनी रही। जनसाधारण शिक्षा के प्रति विमुखता बढ़ती गई और नारी शिक्षा न के बराबर हो गई।

मध्यकाल में नारी की स्थिति

मध्य युग में देश की राजनीतिक स्थिति डांवाडोल हो गई थी। मध्य में अरबों तथा अन्य मुसलमानों के जो आक्रमण प्रारम्भ हुए वह इस युग में तीव्रतर होते गये। भारतीय समाज की कमजोरी और राज्य की फूट का यह परिणाम हुआ कि 1200 ई. तक सम्पूर्ण उत्तरी भारत मुसलमानों के अधिकार में आ गया। इस्लामी शासन के पश्चात् भारतीय समाज पर उनके रहन-सहन पर प्रभाव डालना स्वाभाविक था।

इस युग में भी कुछ उच्च घराने की स्त्रियां शासन प्रबन्ध में भाग लेती थी। रजिया बेगम, अहिल्या बेगम, तारा बाई, सती-प्रथा, पर्दा-प्रथा तथा वैश्यावृत्ति आदि सामाजिक कुरीतियों के कारण स्त्रियां पूरी तरह से जकड़ी हुई थी। इस प्रकार उन पर उत्पीड़न बढ़ते चले गये।

आधुनिक काल में नारी की स्थिति

महिला उत्पीड़न का दोर वैदिक काल, उत्तरवैदिक काल, धर्मशास्त्र काल व मध्यकाल में थमा नहीं बल्कि इसकी मात्रा व वीभत्सा में परिवर्तन अवश्य हुआ। वर्तमान काल में यह महिला उत्पीड़न अपनी चरम सीमा

पर चल रहा है। महिला उत्पीड़न को बढ़ावा देने में दहेज प्रथा जिम्मेदार है।

महिला उत्पीड़न के विभिन्न स्वरूप

- परिवार के अन्तर्गत बलात्कार (जैसे—कौटुम्बिक व्याभिचार, बाल यौन दुरुपयोग और पति द्वारा बलात्कार) इसे कानूनी रूप से बलात्कार नहीं माना गया है।
 - जाति वर्ग की प्रधानता के रूप में बलात्कार (उदाहरणार्थ, उच्च जाति के पुरुष द्वारा निम्न जाति की महिला के साथ बलात्कार, जमीदारों द्वारा भूमिहीन/कृषि महिला मजदूरों, बंधुआ महिला मजदूरों के साथ बलात्कार)।
 - बच्चों, अवयस्क, असुरक्षित युवतियों के साथ बलात्कार।
 - युद्ध, साम्प्रदायिक दंगों और राजनीतिक विप्लवों के दौरान सामूहिक बलात्कार।
 - हरासत के दौरान बलात्कार (जैसे— पुलिस हिरासत, रिमांड गृहों, अस्पतालों, काम के स्थानों आदि)।
 - आक्रमिक, अप्रत्याशित बलात्कार।
 - शारीरिक उत्पीड़न
 - मानसिक उत्पीड़न
 - मौखिक उत्पीड़न
 - पारिवारिक अत्याचार और दहेज उत्पीड़न हत्या
 - आर्थिक उत्पीड़न
 - वैश्यावृत्ति अथवा देह व्यापार
 - अब्लील साहित्य और संचार साधनों में महिलाओं का गलत चित्रण/नारी देह का व्यापारिक उपभोग व सांस्कृतिक उत्पीड़न
 - कन्या शिशु हत्या और भ्रूण हत्या
- महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित कानून एवं अधिनियम**
- कमीशन ऑफ सती, एक्ट – 1987
Act No. 40 of 1987.
Received the assent of the president on the 26th day of Nov. 1987.
 - दहेज निरोधक, एक्ट – 1961
1961 का सं. 28.
दहेज प्रतिशेष (दूल्हा और दुल्हन को दी गई भेंटो की सूची का रख—रखाव) नियम, 1985
भारतीय दण्ड संहिता, 1860
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के सुसंगत प्रावधानों संहित
 - Immoral traffic (Prevention), 1956 104 of 1956, with State Amendments 2010 Bare act, with short comments. Professional Book Publisher, 30th Dec. 1956.
An act to provide in pursuance of the International Convention signed at New York on the 9th May, 1950, for [The Prevention of Immoral Traffic].
 - The indentent Representation of Women, (Prohibition) Act, 1986 (60 of 1986) along with. The Indencent representation of Woemn, (Prohibition) Rules, 1987 and Relevant provisions

- of Indian penal code (45 of 1860) (23rd Dec. 1986).
1. Published in the Gazette of India, Extra, Pt. II, Sec. 1, dated 23rd Dec. 1986.
 2. 2nd Oct. 1987 vide Notification no. G.S.R/ 821 (E) India, Extra, 1987, pt. II, Sec.3 (i)
 5. The National Commission for Women Act, 1990, Act 20 of 1990
The National Commission for Women Bill, 1990 was passed by both the house of parliament and it received the assent of the president on 30th August, 1990. It came into force on 31st January, 1992 as The National Commission for Women Act, 1990. [2 of 1990]
 6. The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (43 of 2005) [13 Sep., 2005]
 - (i) This act may be called the protection of women from domestic violence Act, 2005.
 - (ii) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.
 - (iii) It shall come into force on such date as the central Government may, by notification in the official Gazette, appoint.
 7. नेशनल कमीशन फॉर विमेन, एक्ट – 1980
 8. प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस, एक्ट – 2005
 9. प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेन्स्ट सेक्सुअल हरस्मेंट बिल, एक्ट – 2007
 10. इमोरल ट्रैफिक (प्रीवेन्शन), एक्ट – 1956
घरेलू उत्पीड़न के लिए कानून 2005 (प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस, एक्ट – 2005)
दहेज निषेध कानून 1961
बाल विवाह संबंधी कानून
विवाह विच्छेद संबंधी कानून

महिला उत्पीड़न एवं मानसिक प्रभाव

महिला उत्पीड़न पर मानसिक प्रभाव सबसे अत्यधिक पड़ता है। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में आये दिन प्रकाशित होने वाली महिलाओं द्वारा आत्महत्या की घटनाएं भी उत्पीड़न को मानसिक प्रभाव को ही स्पष्ट करती है। जैसा कि आता है कि गृहकलेष या प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने आत्महत्या की या जहर खाया आदि। इस तरह की घटनाएं महिला उत्पीड़न के मानसिक प्रभावों को ही स्पष्ट करती हैं।

महिलाओं पर पड़ने वाला अन्य मानसिक प्रभाव भी है जैसे – मानसिक तनाव, निराशा, अवसाद, पागलपन, गंभीर बीमारी आदि।

महिला उत्पीड़न एवं शारीरिक प्रभाव

महिलाओं पर जो उत्पीड़न/शोषण/भेदभाव होता है, उसका प्रभाव ने केवल मानसिक रूप से पड़ता है बल्कि इसके साथ-साथ उन पर किये जाने वाले उत्पीड़न का शारीरिक प्रभाव भी पड़ता है। शारीरिक प्रभावों में हम देख सकते हैं कि विकलांगता/अंगभंग और गंभीर बीमारियां, मृत्यु आदि महिलाओं के ऊपर निरंतर होने वाले अत्याचार और उत्पीड़न का प्रभाव हो सकती है। उत्पीड़न का शारीरिक प्रभाव उत्पीड़ित महिला के अन्य सभी क्षेत्रों पर भी पड़ता है। शारीरिक प्रभाव, मानसिक, पारिवारिक सामाजिक सभी रूपों को प्रभावित करता है। जिससे

उत्पीड़ित महिला का समाज में सामंजस्य बनाये रखते हुए अपनी भूमिकाओं का सम्पादन करना असंभव सा हो जाता है।

महिला उत्पीड़न एवं आर्थिक प्रभाव

निम्न जाति की महिलाओं पर जो आए दिन अत्याचार या उत्पीड़न होता है उनका आर्थिक प्रभाव भी उन पर पड़ता है जैसे भुखमरी, भिक्षावृत्ति, आपराधिक कार्यों में संलग्न हो जाना, सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा, आर्थिक अभाव, उपभोग की वस्तुओं का अभाव आदि। निम्न जाति की महिलाओं की आर्थिक प्रस्थिति निम्न होने के कारण ये आर्थिक रूप से भी काफी प्रभावित होती है।

महिलाओं में समायोजन

भारत में महिला जागरण और उन्नति के समर्थकों की कमी नहीं। वर्ष 2001 तो महिला दिवस मनाये जाने के अलावा पूरा वर्ष ही उन्हें समर्पित है, जिसका सद उद्देश्य उनका 'सशक्तिकरण' है ताकि वे कुल मिलाकर राजनीति, समाज और राष्ट्र में इतनी दीन-हीन शोषित उत्पीड़ित न रहें। जहां तक संख्या का प्रश्न है वे देश की विशाल जनसंख्या भौतिक उपस्थिति तथा संविधान द्वारा गारण्टीशुदा हर क्षेत्र में बिना लिंग भेद के समानाधिकार के बावजूद भारत पुरुष प्रधान गणतंत्र बना हुआ है।

जहां तक महिला उन्नति का प्रश्न है, भारत का रिकार्ड बहुत उज्जवल है। यहां तक कि महिला प्रधानमंत्री पद तक पहुँचकर वर्षों देश का नेतृत्व कर चुकी है। भारतीय महिला विदेशों में देश की राजदूत तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता तक कर चुकी है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में अनेक महिलाएं मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल बनी हैं तो वे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीष रही हैं। अब वे देश की सशस्त्र सेनाओं में जोखिम भेरे उच्च पद सम्भाल रही हैं। तथापि उनकी ये रूपरेखाएं नियम नहीं, गिने चुने अपवाद ही कहे जा सकते हैं। अर्थात् उनकी स्थिति में सुधार औसतन नहीं हुआ है। अतः महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे जाकर अपनी दावेदारी अधिक संख्या में पेश करनी चाहिए।

निष्कर्ष एवं सुझाव

भारत में महिला के स्वरूप की अवधारणा कतिपय पारम्परिक मान्यताओं पर आधारित हैं। एक ओर महिला को पूज्य बताया गया है, जैसा कि मनु ने कहा कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं—“यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता”, दूसरी ओर पारम्परिक रूप से पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को सदैव नीचे स्तर पर रखा गया है। यह विरोधाभास दीर्घकाल से भारतीय सामाजिक संरचना में विद्यमान रहा है। विभिन्न कालखण्डों में महिलाओं के विषय में सामाजिक मान्यताओं के अध्ययन से इस विरोधाभास की व्यापकता का अनुमान लगाना समुचित है। वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय में भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक स्तर की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए वैदिक काल से ही महिलाओं की स्थिति व विभिन्न

कालखण्डों में हुए परिवर्तन पर विचार करना भी समुचित प्रतीत हुआ।

जहाँ तुलसीदास जी ने नारी को ताड़ना का अधिकारी बताया हैं; "ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ये सब ताडन के अधिकारी", वहीं महाकवि जयशंकार प्रसाद ने उसे उच्चतम स्थान दिया है; "नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। पीयूष स्त्रोत सी बहा करों, जीवन के सुन्दर समतल में।"

महिलाओं की स्थिति में सुधार आन्दोलनों और राष्ट्रीय आन्दोलनों के कारण सामाजिक चेतना उत्पन्न हुई। जनवरी 1927 में अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना हुई। जिसका उद्देश्य महिलाओं में शैक्षिक और सामाजिक कार्य करना था। गांधीजी ने महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। 1930 और 1940 के दशकों में मध्यम वर्गीय महिलाओं ने नौकरी करना प्रारम्भ किया।

नारी ईश्वर का वरदान हैं उसकी महत्ता को किसी भी समाज में नकारा नहीं जा सकता है। समाज के सृजन का श्रेय नारी को हैं इसका समाज निर्माण में अमूल्य योद्धान रहा है। नारी के पास प्रकृति प्रदत्त कुछ ऐसे गुण हैं जो केवल नारी को प्राप्त हैं। माँ, पत्नी व पुत्री के रूप में वह समय—समय पर सेवा भावना व बलिदान से समाज की सेवा करती आई है। लेकिन फिर भी इस पुरुष अधिशासित समाज में नारी को तिरस्कृत किया जाता है। नारी को अपमानित शोषित व उपेक्षित किया जाता है, उसको मारा—पीटा जाता है, उसकी उपेक्षा की जाती हैं, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा पहुँचाई जाती है, उसको भूखा, नंगा रखा जाता है, उसके साथ छेड़छाड़, बलात्कार, दहेज प्रताड़ना जैसे अत्याचार किए जाते हैं तथा दहेज के लिए उसे जिंदा जलाकर, जहर देकर या गला घोंटकर मार दिया जाता है। चूंकि समाज के सृजन का श्रेय नारी को हैं। नारी ने पुरुष को जन्म दिया और उसकी जन्मदात्री व अंकशायनी बनी। जगत जननी ने प्राकृतिक रूप से पुरुष के सहवास से मानवा बीज को अपने सृष्टि गर्भ में धारण किया तथा सृष्टि सृजन का सूत्रपात किया। सृजन के साथ ही नारी पुरुष पर निर्भर हो गई। पुरुष ने नारी को सुख व सुरक्षा दी जिसके बदले में नारी ने पुरुष वर्ग को जो मूल्य चुकाया हैं उसने सामाजिक समानता के सिद्धांत की प्राणवायु से जीवित सामाजिक अन्तर्चेतना व अन्तोत्पा को झकझोर कर रख दिया है। पुरुष अधिशापित समाज में पुरुष ने, नारी अस्तित्व को अपने अधीन किया और इस प्रकार नारी पुरुष की भोग्या, आश्रिता व पराश्रिता बनी तथा आज भी संसार के समागम से लेकर सभ्य व सुसंस्कृत कहे जाने वाले समाज में भी वह पुरुषाधीन है।

अध्ययन में मुख्य रूप से साक्षात्कार अनुसूची तथा साथ में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति व अवलोकन पद्धति का भी प्रयोग किया गया है।

इस अध्ययन में महिला उत्पीड़न से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन तथा महिला अपराधों की प्रवृत्ति का विवेचन किया गया है। सामान्य अपराधों के साथ महिलाओं के प्रति हिसां में भी लगातार वृद्धि हो रही है।

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर प्राप्त तथ्यों पर यह विश्लेषण सामने आए कि

वर्तमान समाज में भी महिलाओं का उत्पीड़न बड़े स्तर पर किया जाता है। प्राप्त तथ्य महिला अधिकारों तथा महिला सशक्तिकरण पर कुठाराधात करते हैं।

वर्तमान समय में ग्रामीण तथा कस्बाई क्षेत्रों जैसे पिछड़े क्षेत्रों में ही नहीं शहरी तथा साक्षर क्षेत्रों में भी महिलाओं को उत्पीड़ित किया जा रहा है।

समाज में आज भी लोगों के मन में पुत्र की चाह बनी हुई हैं तथा पुत्र प्राप्ति में वह कई संताने पैदा कर लेते हैं और पुत्र का लालन पालन वह पुत्री की अपेक्षा अच्छा करते हैं। पुत्री के साथ माता—पिता शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में भेदभाव करते हैं।

समाज में महिलाओं के माता—पिता शिक्षित होते हुए भी पुत्री तथा बहुओं को दहेज जैसी चीजों के लिए उत्पीड़ित करते हैं। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि महिलाओं की स्थिति में शिक्षा प्रसार के बाद भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है।

कामकाजी महिलाओं के साथ भी शोषण किया जाता है। इन महिलाओं के परिवारजन उनके वेतन पर अपना अधिकार समझते हैं तथा कामकाजी महिला अपने ही वेतन को अपने तरीके से खर्च करने का अधिकार खो रही हैं।

महिलाओं को पैतृक सम्पत्ति के अधिकार से भी वंचित रखकर उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं के अधिकारों का खुले आम हनन हो रहा है। महिलाएं न तो ससुराल की सम्पत्ति में और न ही पैतृक सम्पत्ति में विचार रख पा रही हैं। इस प्रकार दोनों ही घरों में महिलाओं के साथ आर्थिक उत्पीड़न किया जा रहा है।

महिलाओं का उत्पीड़न अधिकांशतः उन लोगों द्वारा किया जाता हैं जो उनके करीबी परिवारजन, मित्र या रिश्तेदार होते हैं। इस प्रकार के लोगों द्वारा उत्पीड़ित होकर महिलाओं का काफी गहरा मानसिक आघात झेलना पड़ रहा है। इस प्रकार के लोगों के विरुद्ध महिलाएं खुलकर विरोध भी नहीं कर पाती हैं।

कामकाजी महिलाओं पर न केवल परिवारजनों का शोषण हैं वरन् कार्यस्थल पर भी सहकर्मियों तथा मालिकों द्वारा उनका शारीरिक शोषण किया जा रहा है।

कामकाजी महिलाओं को पुरुष की तुलना में कम आंका जाता है तथा उहें कम वेतन दिया जाता है। काम के बदले कम वेतन देकर महिलाओं का आर्थिक शोषण किया जा रहा है।

महिलाओं को कन्या भ्रूण हत्या के लिए भी बाध्य किया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या के लिए या जन्म सम्बन्धी अधिकारों पर महिलाओं को बाधित करना भी उनका उत्पीड़न है।

सार्वजनिक स्थानों पर भी महिलाओं के साथ शारीरिक छेड़छाड़ की जाती है। जिसके विरोध वह बदनामी के डर से नहीं कर पाती है।

अधिकांश महिलाएं उत्पीड़न संबंधी बने अधिकारों की जानकारी ही नहीं रखती हैं जिसके कारण वह उत्पीड़न को चुपचाप सह रही हैं तथा जो महिलाएं

उत्पीड़न अधिकारों तथा कानून की जानकारी रखती हैं वह उनके उपयोग से डरती हैं क्योंकि इससे समाज में अधिकांशतः उन्हीं की बदनामी का ज्यादा डर रहता है।

मात्र शिक्षा के प्रसार या कानून बना देने से ही महिलाओं के उत्पीड़न की स्थिति नहीं सुधरेगी महिलाओं तथा लोगों को इसके प्रति जागरूक भी करना होगा तथा महिला केसों को सावधानीपूर्वक उनके मान के साथ लड़ना होगा।

अन्त में निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि यद्यपि महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए फिर भी महिलाओं की पहुँच से दूर है। अतः महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए उनका जागरूक होना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. आशु रानी सचदेवा : “महिला विकास कार्यक्रम”, प्रकाशक इनात्री, जयपुर, 1997, पृ०स० 11.
2. आशा रानी बोहरा : “भारतीय नारी दशा और दिशा” नेशनल पब्लिषर्स, नई दिल्ली, 1983, पृ०स० 15.
3. आशा रानी बोहरा : “भारतीय नारी दशा और दिशा”, नेशनल पब्लिषर्स, नई दिल्ली, 1993, पृ०स० 3.
4. डॉ. राम आहूजा : ‘क्राइम अगेन्ट वूमेन’ प्रकाशन रावत, जयपुर, 1987 पृ०स० – 228.
5. डॉ. बैली : ‘वॉयलैन्स अगेन्ट वूमेन’ कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 1998, पृ०स० –
6. एम एन अन्सारी : “नारी चेतना और अपराध” पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 1989, पृ०स० – 1.
7. आहूजा, राम : (2001), ‘रिसर्च मेथड्स’, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
8. मिलर, सी.डेल्बर्ट : (1983), “हैंडबुक ऑफ रिसर्च डिजाइन एंड सोशल मिजरमेंट”, लॉगमैन, न्यूयार्क।